हेतु दिनांक 27.1.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

27.1.24

पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र 251 सिविल प्रक्रिया संहिता के
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
वाद स्वीकार किया जाकर
TSR को [illegible] पत्रावली
शुमार [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)

ोर्ट / 2021 / 105 दिनांक :

तहसीलदार
खींवसर

श्री भंवरसिंह पुत्र हरसुखराम जाति जाट निवासी धारणावास तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

ण :—

1. श्री प्रभुराम पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट

उपरोक्त विषय में लेख है की प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नबंर 270, 707, 271 में आवागमन के लिए ताडावास से चरड़ा जा रही ग्रेवल सड़क से लेकर ख.न. 274 ्षेणी सींव से 15 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि ख.न. 270 / 707 व 271 तक रास्ते के रूप में राजहक में घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषित को राजहक में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये गए यानि सही से अकंन किये गए तक 15 फुट चौड़ा रास्ता) प्रभावित रकबा 06.04 बिश्वा की गणना डीएलसी दर की ढाई गुना राशि प्रार्थी से प्राप्त करेगें। प्रार्थी से प्रभावित रकबे की डीएलसी की दर से ढाई गुना राशि 13,329/— रूपये प्राप्त कर र्थी को उक्त राशि का भुगतान करेगें। अगर अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त नहीं करते है तो उक्त राजकोश में जमा करायेगें। तथा आदेशानुसार रास्ते को खुलवाया जाकर रास्ते का राजस्व ई में तरमीम करेंगे। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह ा एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

— उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो एवं किसी भी बैंक में ा खसरा रहन हो तो रहन मुक्त होने के प्रश्चात उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। ी पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर